

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र) ।

पत्रांक : 4564 / रेनुकूट / 15-31 रेनुकूट, दिनांक, जून, 22, 2018
सेवा में,

यूनिट हेड

मे० रेनुसागर पावर डिवीजन (हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि.)

रेनुसागर-सोनभद्र ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु लीज पर दी गयी 61.2348 हे० वन भूमि, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रदत्त कुल 126.27 हे० मे. से 61.2348 हे० आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भ:- (1) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या- एफ.नं. 8-05/1993-एफ.सी.(पी.टी.) दिनांक- 18.06.2018

(2) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या- 5337/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/आई०एन०डी०/25304/2017 लखनऊ दिनांक- 20.06.2018

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक- 20.06.2018 द्वारा भारत सरकार के संदर्भित आदेश दिनांक- 18.06.2018 में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी से धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा एड-हॉक कैम्पा एकाउन्ट में जमा कराकर, बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप (Tabular Form) में संबंधित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में एफ०एन०सी० की बैठक 17.06.2018, की कार्यवृत्त एवं भारत सरकार के संदर्भित आदेश दिनांक-18.06.2018 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक- 20.06.2018 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में निम्नानुसार वांछित धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा एड-हॉक कैम्पा एकाउन्ट में जमा कराते हुए उससे संबंधित चालान की मूल प्रति, बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप (Tabular Form) में तैयार कराते हुए पाँच प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित किया जा सकें :-

Recommendation of FAC

Condition No.	Condition	प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या- 625/11-सी-एफ.पी. /यू.पी./आई.एन.डी. /25304/2017 लखनऊ, दिनांक- 31.08.2017 द्वारा "इको-श्रेणी तृतीय" के अन्तर्गत "खुले वन" के लिए निर्धारित एन०पी०वी०की दर(प्रति हे०)	61.2348 हे० हस्तान्तरित वन भूमि का 6,26,000.00 प्रति हे० की दर से निर्धारित एन०पी०वी०की धनराशि 3,83,32,985/- है जिसका दोगुनी धनराशि रू० 7,66,65,970/- ई-चालान द्वारा एड-हॉक कैम्पा एकाउन्ट में जमा किया जाना अवशेष है
1	2	3	4
1	User agency shall pay penalty for violation as per guidelines issued by the Ministry's letter no. 11-42/2017-FC dated 29-01-2018. The present proposal was under consideration for renewal of diversion of Forest land for non forestry purpose under FCA 1980 but user agency preferred to use the land for non-forestry purpose without valid renewal. User agency	6,26,000 / -	7,66,65,970 / -

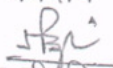
	shall pay penalty two times the NPV . if the amount in not paid in time bund manner the user agency shall also pay 12 per cent simple interest on NPV from the date of issue of this clarification from MOEF & CC till the deposit is made. The penal NPV amount will be in addition to the normal NPV stipulations. It shall be deposited in Ad-hoc CAMPA account compliance of above stated conditions along with other stipulated conditions in Stage-I approval shall be complied prior to Stage-II approval.		
--	--	--	--

उक्त मॉग पत्र उच्च स्तर से जारी होने वाले आदेशों से बाधित रहेगा ।

संख्या- ⁴⁵⁶⁴ अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक- 20.06.2018 के क्रम में ।
2. मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ।

भवदीय

 (एम0पी0सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
 रेनुकूट वन प्रभाग
 रेनुकूट, सोनभद्र

(एम0पी0सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
 रेनुकूट वन प्रभाग
 रेनुकूट, सोनभद्र